पंचदश

बिहार विधान-सभा

पंचम सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

अंक-1

सोमवार, तिथि — 15 फाल्गुन, 1933 (श०)
05 मार्च, 2012 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—02

(1) गन्ना उद्योग विभाग	..	..	..	01
(2) गृह विभाग	..	..	..	01
			कुल योग ..	02

निजी हाथों में सौंपना

31. श्री सुबोध राय--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 31 अगस्त, 2011 को प्रकाशित शीर्षक "लीज पर दी जायेगी चीनी निगम की नौ मिलें" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य मंत्री परिषद् ने चीनी एवं गन्ना आधारित उद्योग की स्थापना और क्षमता विस्तार के लिए सहायक अनुदान के रूप में 7.84 करोड़ की स्वीकृति दी है;

(2) क्या यह बात सही है कि चीनी निगम के अधीन के बीच हुई नौ इकाइयों को लीज पर सफल निवेशकों को गन्ना आधारित उद्योग के रूप में पुनर्जीवित करने या अन्य उद्योग को स्थापित करने के लिए एस०बी०आई० कैप्स के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने का प्रस्ताव को स्वीकृति दी है;

(3) क्या यह बात सही है कि बनमनखी, लोहट, समस्तीपुर, हथुआ, सीवान, गोरौल, गुरारू एवं वारिसलीगंज चीनी मिल को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त चीनी मिलों को कबतक निजी हाथों में सौंपने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

32. डॉ० अच्युतानन्द--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 10 जनवरी, 2012 को प्रकाशित शीर्षक "25 आई०पी०एस० अफसरों को दामन धुलने का इंतजार" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पदस्थापित भारतीय पुलिस सेवा के करीब दो दर्जन से भी अधिक अधिकारी स्थापित कानूनों के उल्लंघन एवं अपने वरिष्ठों के आदेशों के विपरीत काम करने के आरोप के दोषी पाये गए हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि ऐसे 25 अधिकारियों के विरुद्ध कई प्रकार के गम्भीर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, फिर भी 2 वर्षों के बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गम्भीर आरोपों के दोषी 25 पुलिस पदाधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 5 मार्च, 2012 (ई०) ।

लक्ष्मी कान्त झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि० स० मु० (एल० ए०), 133-डी०टी०पी०-450